भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-406.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन0टी0पी0सी0) द्वारा विज्ञापन दिए जाने में अनियमितताएं

***406. श्री ए. इलावरासनः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन0टी0पी0सी0) ने कुछ मासिक पत्रिकाओं को नियमित रूप से विज्ञापन देकर अथवा अत्यधिक ऊंची दरों पर विज्ञापन देकर उन्हें लाभ पहुँचाया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मासिक पत्रिकाओं को एक वर्ष में दिए गए कुल दो लाख रुपए या इससे अधिक मूल्य के विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विवरण पुस्तिकाओं/स्मारिकाओं को भी ऊंची दरों पर विज्ञापन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से विज्ञापन प्राप्त करने वाले संगठनों के नाम और उन विज्ञापनों हेतु दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ÉÊ´É´É®hÉ

एनटीपीसी द्वारा विज्ञापन जारी करने में अनियमितताओं के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 406 के भाग (क)से(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

****

(क)और(ख)- एनटीपीसी विभिन्न पहलुओं को सूचित करने के लिए सामान्यतः एक टूल के रूप में विज्ञापनों को जारी करता है और एनटीपीसी से संबंधित गतिविधियों को सूचित करता है । पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मासिक पत्रिकाओं के लिए दो लाख रूपये बराबर मूल्य के एनटीपीसी द्वारा दिए गये विज्ञापनों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं ।

(MÉ)+ÉÉè®(PÉ)- **¥ÉÉä¶É®Éå/ºàÉÉÉÊ®BÉEEÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ, +É´ÉºÉ® BÉEä àÉci´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉ n®Éå {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉä¶É®/ºàÉÉÉÊ®BÉEÉAÆ ãÉÉÊFÉiÉ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé * ¤ªÉÉè®ä** +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-** **àÉå ÉÊnA MÉA +ÉxÉÖºÉÉ® cé ***

अनुबंध-I

एनटीपीसी द्वारा विज्ञापन जारी करने में अनियमितताओं के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 406 के भाग (क)और(ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनुबंध ।

****

एनटीपीसी द्वारा दो लाख रूपये और इसके अधिक के मूल्य के दिए गये विज्ञापन के ब्यौरे

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	निवेशन की संख्या	कुल राशि(लाख रूपये में)
	2010-11		
1.	ब्यूरोक्रेसी टुडे	4	3.20
2.	डे आफ्टर	2	8.80
3.	फोर्ब्स	1	6.00
4.	एफई 500	1	2.00
5.	इण्डिया टुडे	1	12.50
	2011-12		
1.	ब्यूरोक्रेसी टुडे	12	9.60
2.	फॉर्चून इण्डिया	1	3.00
3.	रिसोर्स डाइजेस्ट	1	4.50
4.	आउटलुक	1	3.20
5.	तहलका	1	5.00
6.	व्हीस्पर्स इन द कॉरीडोर	12	5.40
	2012-13		
1.	एयर इंडिया	1	2.00
2.	एयरपोर्ट इंडिया	1	2.00
3.	बिजनेस इंडिया	2	2.50
4.	डे आफटर	1	2.00
5.	फॉर्चून इंडिया	1	2.12
6.	जी फाइल्स	5	9.14
7.	मलयाला मनोरमा	1	3.00
8.	आउटलुक	3	3.54
9.	उपभोक्ता चिंतन	1	2.50
10.	व्हीस्पर इन द कॉरीडोर	13	5.40

****

अनुबंध – II

	2010-11 में स्मारिका/ब्रोशर में दिए गए विज्ञापन			
क्रम सं.	संगठन का नाम	दर	निवेशन की संख्या	कुल राशि (रुपए)
1.	ऑल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन	25000	1	25000
2.	एमिटी बिजनेस स्कूल	20000	1	20000
3.	अम्मा समयारी सुरजानी, नई दिल्ली	15000	1	15000
4.	एआरडीएसआई दिल्ली चैप्टर	7000	1	7000
5.	एशियाड विलेज सोसायटी	5000	1	5000
6.	अवध चैरिटेबल ट्रस्ट	15000	1	15000
7.	भानुतीर्थ, नई दिल्ली	6000	1	6000
8.	भारतीय भाषा और संस्कृति केंद्र	15000	1	15000
9.	भारतीय राजभाषा	15000	1	15000
10.	दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डीफ विमिन	15000	1	15000
11.	धर्मास्था सेवा समिति	10000	1	10000
12.	इण्डिया विमिन प्रोग्रेस	15000	1	15000
13.	इरफान-कार्टूनिस्ट	20000	1	20000
14.	कलाईकुडम, नई दिल्ली	10000	1	10000
15.	केरला महारत्ता	50000	1	50000
16.	खेलगांव रेसीडेंस वेलफेयर एसोसिएशन	30000	1	30000
17.	महामना मालवीय मिशन	100000	1	100000
18.	माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी	15000	1	15000
19.	मोटोज इण्डिया	30000	1	30000
20.	नोएडा अयप्पा सेवा समिति	5000	1	5000
21.	पंचामृत चेतना कुंद्रा समिति	25000	1	25000
22.	पावर एचआर फोरम	18000	1	18000
23.	पीआरएसआई-हैदराबाद	15000	1	15000
24.	पीआरएसआई-नेशनल कॉफ्रेंस, कोलकाता	20000	1	20000
25.	रामकृष्ण मिशन	7000	1	7000
26.	राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी, रुपाम्बरा	19800	1	19800
27.	साधना कला संगम	20000	1	20000
28.	संभाशुना संदेश	25000	1	25000
29.	संस्कृति स्कूल	10000	1	10000
30.	संत हरदयाल एजुकेशनल एण्ड ऑरफंस वेलफेयर सोसायटी, दिल्ली	51000	1	51000
31.	स्कोप, दिल्ली	50000	1	50000
32.	शहीद सुखदेव कॉलेज	25000	1	25000
33.	शिल्प बिचित्र, कोलकाता	20000	1	20000
34.	श्रीकृष्ण एवं नवग्रह मंदिर, दिल्ली	7500	1	7500
	कुल			**736300**

	2011-12 में स्मारिका/ब्रोशर में दिए गए विज्ञापन			
क्रम सं.	संगठन का नाम	दर (रुपए)	निवेशन की संख्या	कुल राशि (रुपए)
1.	21वां कांग्रेस सीपीआई, पटना, बिहार	125000	1	125000
2.	अभिनव प्रिन्ट्स	30000	1	30000
3.	एडप्रोस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	250000	1	250000
4.	अग्रणी इण्डिया फाउंडेशन	25000	1	25000
5.	ऑल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, नई दिल्ली	20000	1	20000
6.	ऑल इण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, नई दिल्ली	25000	1	25000
7.	ऑल इण्डिया डीफ आर्ट्स एण्ड कल्चरल सोसायटी	10000	1	10000
8.	ऑल इण्डिया हैण्डीकैप्ड रिहैबिलेशन सेंटर	2000	1	2000
9.	ऑल इण्डिया जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन	10000	1	10000
10.	ऑल इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन	10000	1	10000
11.	इलाहाबाद स्पोर्टिंग फुटबॉल एकेडमी	20000	1	20000
12.	एलुमनी एसोसिएशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिग	30000	1	30000
13.	अर्पणा ट्रस्ट, दिल्ली	10000	1	10000
14.	एएसएपीपी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)	40000	1	40000
15.	बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल	5000	1	5000
16.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र	15000	1	15000
17.	भुयां समाज विकास संघ	10000	1	10000
18.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी	75000	1	75000
19.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी	20000	1	20000
20.	बीआईटीएस पिलानी, स्पोर्ट्स मीट	25000	1	25000
21.	ब्राह्मण मानस	25000	1	25000
22.	बुधम कल्चरल सोसायटी	8000	1	8000
23.	सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर, नई दिल्ली	50000	1	50000
24.	सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर, नई दिल्ली	15000	1	15000
25.	सेन्टेनरी मैथोडिस्ट चर्च, दिल्ली	20000	1	20000
26.	सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर, नई दिल्ली	50000	1	50000
27.	सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स	100000	1	100000
28.	चिल्ड्रेन वेलफेयर सोसायटी	12000	1	12000
29.	चिन्मया मिशन, नोएडा	10000	1	10000
30.	चितरंजन पार्क बंगीय समाज	15000	1	15000
31.	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन	150000	1	150000

32.	कनफेडरेशन ऑफ एनजीओस ऑफ रूरल इंडिया	200000	1	200000
33.	दिल्ली टैक्निकल यूनिवर्सिटी	20000	1	20000
34.	दिल्ली तेलुगु संगम	5000	1	5000
35.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	25000	1	25000
36.	धर्मसंस्था सेवा समिति	10000	1	10000
37.	दिशा प्रोडक्शन (एक दिन)	10800	1	10800
38.	डॉ. अम्बेडकर एनआईटी, जालंधर	25000	1	25000
39.	द्रौपदी ट्रस्ट	18000	1	18000
40.	द्रौपदी ट्रस्ट	50000	1	50000
41.	डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट	50000	1	50000
42.	दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय	10000	1	10000
43.	एहसास फाउंडेशन	50000	1	50000
44.	फैमिली ऑफ डिसेबिल्ड	10000	1	10000
45.	फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन	30000	1	30000
46.	एफओआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट	20500	1	20500
47.	फोरेन कोरसपोंडेंट्स क्लब	30000	1	30000
48.	फोरम ऑफ फाइनेंशियल राइटर्स	5000	1	5000
49.	गनेशा नाट्यालय	20000	1	20000
50.	गुरूपूरब सेलीब्रेशन कमेटी	20000	1	20000
51.	हीमोफीलिया फाउंडेशन	10000	1	10000
52.	हिन्दू कॉलेज	10000	1	10000
53.	ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट	40000	1	40000
54.	इण्डिया फाउंडेशन फॉर रुरल डेवलेंपमेंट	32000	1	32000
55.	इण्डिया इंटरनेशन लॉ फेडरेशन	50000	1	50000
56.	इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन	75000	1	75000
57.	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद	75000	1	75000
58.	इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क	7000	1	7000
59.	इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 329	10000	1	10000
60.	इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), शिमला	20000	1	20000
61.	इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट	15000	1	15000
62.	जयचंडी पहाड़ पर्यटन उत्सव	10000	1	10000
63.	कौमुदी पब्लिक रिलेशन्स	20000	1	20000
64.	कोलकाता पुलिस फैमिली वेलफेयर सेंटर	200000	1	200000
65.	कृति फाउंडेशन	20000	1	20000
66.	लोकछंद कल्चरल यूनिट	50000	1	50000
67.	लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल	10000	1	10000
68.	महा. माइनोरिटीज फाउंडेशन फॉर यूनिटी एण्ड डेवलेपमेंट	25000	1	25000

69.	महामना मालवीय मिशन	100000	1	100000
70.	माता कौशल्या देवी चैरिटेबल ट्रस्ट	20000	1	20000
71.	मित्र मंडली तरुण समाज समिति	25000	1	25000
72.	नेशनल एसोसिएशन ऑफ दी डीफ	20000	1	20000
73.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कर्नाटक	10000	1	10000
74.	नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी	30000	1	30000
75.	नई दिल्ली वाईएमसीए	10000	1	10000
76.	एनआईएफटी सोर्स बुक	20000	1	20000
77.	नोएडा अयप्पा सेवा समिति	10000	1	10000
78.	एनटीपीसी रिक्रियेशन क्लब	20000	1	20000
79.	ओल्ड बॉयज एसोसिएशन	35000	1	35000
80.	ओडिशा यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स	40000	1	40000
81.	पद्मराजन स्मरणिका	30000	1	30000
82.	परिचय फाउंडेशन	100000	1	100000
83.	परिचय फाउंडेशन	100000	1	100000
84.	परिवर्तन जन कल्याण समिति	10000	1	10000
85.	पावर एचआर फोरम	10000	1	10000
86.	पब्लिसिटी सोसायटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	75000	1	75000
87.	रायसीना बंगाली स्कूल	12000	1	12000
88.	राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था	10000	1	10000
89.	राजीव स्पोर्ट फाउंडेशन (नागपुर)	60000	1	60000
90.	रामकृष्ण मिशन, वृंदावन	40000	1	40000
91.	रिसर्च एण्ड एनालिसिस कमीशन फॉर इमपावर	35000	1	35000
92.	रेजीडेंट्स एंड प्लॉट वेलफेयर एसोसिएशन, फरीदाबाद	50000	1	50000
93.	शहीद सुखदेव कॉलेज	40000	1	40000
94.	संत हरदयाल एजुकेशन एंड ऑरफंस वेलफेयर	51000	1	51000
95.	शेल्टर एंड वेलफेयर एसोसिएशन	20000	1	20000
96.	श्री हिंदी साहित्य समिति	20000	1	20000
97.	साउदर्न स्टार कोऑपरेटिव (अर्बन)	5000	1	5000
98.	श्री नारायण केंद्र	10000	1	10000
99.	श्री रामचरित मानस सत्संग समिति	15000	1	15000
100.	श्री विष्णु सहस्रनामा सत्संगम	30000	1	30000
101.	सुमधुर हंसध्वनि ट्रस्ट	50000	1	50000
102.	टैप फाउंडेशन	25000	1	25000
103.	टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट	60000	1	60000
104.	टेरी यूनिवर्सिटी	20000	1	20000
105.	दी कॉन्सटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया	200000	1	200000

106.	दी डीफवे फाउंडेशन	20000	1	20000
107.	दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	200000	1	200000
108.	दी येलोब्रिक प्रोजेक्ट	15000	1	15000
109.	थूरावुर महाक्षेत्र समिति	10000	1	10000
110.	टॉप रेंकर्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट	30000	1	30000
111.	ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया	10000	1	10000
112.	उस्ताद मुश्ताक अली खान सेंटर फॉर कल्चर	30000	1	30000
113.	वागीश्वरी फाउंडेशन	20000	1	20000
114.	वैशाली कला केंद्र	40000	1	40000
115.	वेदान्ता इंस्टीट्यूट दिल्ली	20000	1	20000
116.	विकलांग मंच	9000	1	9000
117.	युवा संग्राम ज्योति	10000	1	10000
	कुल			4332300

	2012-13 में स्मारिका/ब्रोशर में दिए गए विज्ञापन			
क्रम सं.	**संगठन का नाम**	**दर (रुपए)**	**निवेशन की संख्या**	**कुल राशि**
1.	10वाँ वेस्ट बंगाल स्टेट कांफ्रेस(सीटू)	10000	1	10000
2.	24 उप जूनियर नेशनल खो-खो चैम्पियनशिप बोकारो	20000	1	20000
3.	आधुनिक जन संचार	15000	1	15000
4.	अग्रणी इंडिया फाउंडेशन	15000	1	15000
5.	अग्रसर समाज कल्याण केंद्र	50000	1	50000
6.	अहेड, गाजियाबाद	30000	1	30000
7.	ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन	25000	1	25000
8.	ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन	20000	1	20000
9.	ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	200000	1	200000
10.	इलाहाबाद स्पोर्टिंग फुटबॉल अकादमी	20000	1	20000
11.	अमृत वर्षा, न्यू दिल्ली	2000	1	2000
12.	एएसएपीपी मीडिया इन्फोर्मेशन ग्रुप	40000	1	40000
13.	एएसएपीपी मीडिया इन्फोर्मेशन ग्रुप	40000	1	40000
14.	एएसएपीपी मीडिया इन्फोर्मेशन ग्रुप	30000	1	30000
15.	एशियन इवेन्ट्स	20000	1	20000
16.	बाल जागृति एसोशिएशन	15000	1	15000
17.	बंधु महल वेस्ट बेंगाल	20000	1	20000

18.	बेंगाल एसोसिएशन	200000	1	200000
19.	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र	15000	1	15000
20.	भारतीय विद्या भवन	9000	1	9000
21.	भारतीय विद्या भवन	9000	1	9000
22.	बिमटेक	60000	1	60000
23.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, गोवा	25000	1	25000
24.	बॉम्बे फाउंडेशन ऑफ डीफ विमिन	10000	1	10000
25.	ब्रह्म कुमारीज	100000	1	100000
26.	कैन सपोर्ट, दिल्ली	50000	1	50000
27.	चाइल्ड केयर एंड वेलफेयर फाउंडेशन	30000	1	30000
28.	चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी	8000	1	8000
29.	कलर्स मल्टीमीडिया	80000	1	80000
30.	डीफ क्रिकेट सोसाइटी	10000	1	10000
31.	दीप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन	20000	1	20000
32.	दिल्ली एडवरटाइजिंग क्लब	25000	1	25000
33.	दिल्ली ब्ल्यूज क्रिकेट क्लब	15000	1	15000
34.	दिल्ली चिन्मय सेवा ट्रस्ट	18000	1	18000
35.	दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डीफ विमिन	15000	1	15000
36.	दिल्ली जिमखाना क्लब प्रा. लि.	100000	1	100000
37.	देशरत्न फाउंडेशन	35000	1	35000
38.	धर्मसंस्था सेवा समिति	20000	1	20000
39.	ध्रुव आर्टस एवं कल्चरल सोसाइटी	15000	1	15000
40.	डायलॉग इंडिया, दिल्ली	30000	1	30000
41.	डिवाइन सोशल वेलफेयर सोसाइटी	200000	1	200000
42.	द्रौपदी ट्रस्ट	20000	1	20000
43.	दृष्टि क्रिएटिव प्रोडक्शन	50000	1	50000
44.	दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय	25000	1	25000
45.	ईस्टएंड अपार्टमेंट, दुर्गा पूजा समिति	8000	1	8000
46.	इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी	20000	1	20000
47.	इक्विविंग स्पोटर्स इवेंट्स	100000	1	100000
48.	एक्सपोजर एंड एक्सपोजिशन	20000	1	20000
49.	फाल्कन मीडिया	50000	1	50000
50.	फेडरेशन ऑफ पीटीआई इम्प्लाइज यूनियन	30000	1	30000
51.	फाइनेंशियल जनर्लिस्ट क्लब	15000	1	15000
52.	फोरम ऑफ विमिन इन पब्लिक सेक्टर	25000	1	25000
53.	गुरूपूरब सेलीब्रेशन कमेटी	20000	1	20000
54.	हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट	25000	1	25000

55.	हिमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया	20000	1	20000
56.	होलिस्टिक वेलनेस फाउंडेशन	20000	1	20000
57.	ह्यूमन केयर चैरिटेबल ट्रस्ट	50000	1	50000
58.	आईएएस ऑफिशर्स वाइव्स एसोसिएशन	60000	1	60000
59.	इग्निशेंस एजुकेशन प्रा. लि.	200000	1	200000
60.	आईआईटी दिल्ली	20000	1	20000
61.	आईआईटी दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	10000	1	10000
62.	इंडिया एनर्जी फोरम	20000	1	20000
63.	इंडिया फाउंडेशन फॉर रूरल डेवेलपमेंट ऑफ स्टडीज	32000	1	32000
64.	इंडियन ड्रीम	20000	1	20000
65.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड	15000	1	15000
66.	इंडियन नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्शन फॉरेस्ट एंड वुड वर्कर्स फेडरेशन	100000	1	100000
67.	इंडियन वुमन्स प्रेस कॉर्पोरेशन	50000	1	50000
68.	इन्दौर प्रेस क्लब	50000	1	50000
69.	इंफ्रालाइन टेक्नोलॉजी	30000	1	30000
70.	इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया	50000	1	50000
71.	इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज	30000	1	30000
72.	इनटक	30000	1	30000
73.	ईशा फाउंडेशन	15000	1	15000
74.	झंकार महिला समाज सेल	70000	1	70000
75.	जयचंडीपहाड़ पर्यटन उत्सव कमेटी	7000	1	7000
76.	जुबराज हाई स्कूल	50000	1	50000
77.	कलाईकुडम	10000	1	10000
78.	कार्यालय नगर पंचायत, रायबरेली	20000	1	20000
79.	केरल कार्टून अकादमी	50000	1	50000
80.	कृष्ण मुरारी फाउंडेशन	25000	1	25000
81.	ली-रीदम	20000	1	20000
82.	महामना मालवीय फाउंडेशन	25000	1	25000
83.	मालवीय सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन (आईआईटी, दिल्ली)	50000	1	50000
84.	मानवीकटारा विश्व मुक्ति	40000	1	40000
85.	मास फॉर अवेयरनेस	20000	1	20000
86.	माता अमृतानंदमयी मठ	50000	1	50000
87.	माता कौशल्या देवी चैरीटेबल ट्रस्ट	20000	1	20000

88.	मीडिया फेडेरेशन ऑफ इंडिया	20000	1	20000
89.	मीडिया वर्ल्ड पब्लिकेशन(विश्व पत्रकार सदन)	35000	1	35000
90.	मित्र मंडली तरूण समाज, भरतपुर	25000	1	25000
91.	मॉडर्न अकादमी	12000	1	12000
92.	मोटोज इंडिया	30000	1	30000
93.	मोटोज इंडिया	15000	1	15000
94.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन	20000	1	20000
95.	नागरी लिपि परिषद	15000	1	15000
96.	नेशनल एसोसिशन ऑफ द डीफ	20000	1	20000
97.	नई दिल्ली, वाईएमसीए	10000	1	10000
98.	न्यू वेव पब्लिकेशन, त्रिवेंद्रम	15000	1	15000
99.	नोएडा अयप्पा सेवा समिति	10000	1	10000
100.	ओडिशा राजीव गांधी स्टूडेंट फोरम	25000	1	25000
101.	परिचय फाउंडेशन	100000	1	100000
102.	परिवर्तन जनकल्याण समिति	50000	1	50000
103.	पावर एचआर फोरम	12000	1	12000
104.	पावर एचआर फोरम	12000	1	12000
105.	प्रसन्ना ट्रस्ट	25000	1	25000
106.	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया	30000	1	30000
107.	प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स	50000	1	50000
108.	पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, शिमला	50000	1	50000
109.	रेलवे मेन	2000	1	2000
110.	राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च	10000	1	10000
111.	सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल	10000	1	10000
112.	साधना कला संगम	50000	1	50000
113.	साईं पब्लिकेशन	75000	1	75000
114.	समाज उत्थान वेलफेयर सोसाइटी	40000	1	40000
115.	संवाद मीडिया	100000	1	100000
116.	संगीत संध्या	10000	1	10000
117.	संत गडगे अंबेडकर	20000	1	20000
118.	संयुक्त महिला समिति(एनटीपीसी लेडीज क्लब)	50000	1	50000
119.	स्कोप	20000	1	20000
120.	स्कोप	50000	1	50000
121.	शिल्प बिचित्र	20000	1	20000
122.	श्री विलेपार्ले केलवानी मंडल	20000	1	20000
123.	सिंधी सेवा समिति	3000	1	3000
124.	सोसाइटी फॉर वेलफेयर एंड एजुकेशन एंड प्रोग्राम	21000	1	21000

125.	सोपान स्टेप	32000	1	32000
126.	साउथ एशिया फोरम फॉर एनर्जी एफिशियंसी	25000	1	25000
127.	श्री स्वामीनाथन स्वामी सेवा समिति	10000	1	10000
128.	श्री गीतगोविंद प्रतिष्ठान	50000	1	50000
129.	श्री रामचरितमानस सत्संग	30000	1	30000
130.	श्री विष्णु सहस्रानामा सत्संगम	20000	1	20000
131.	श्रीनारायण भक्ति ज्ञान	5000	1	5000
132.	सृष्टि पावरग्रिड महिला समाज	35000	1	35000
133.	सेंट फ्रांसिस स्कूल	20000	1	20000
134.	सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस	30000	1	30000
135.	टेप फाउंडेशन	25000	1	25000
136.	टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी	15000	1	15000
137.	टेरी(टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टिट्यूट)	40000	1	40000
138.	द कन्सटीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया	200000	1	200000
139.	दी डीफवे फाउंडेशन	25000	1	25000
140.	दी म्यूजिक अकादमी	10000	1	10000
141.	दी नेशनल एचआरडी नेटवर्क	50000	1	50000
142.	टून इंडिया	30000	1	30000
143.	उत्तरपारा संगीत चक्र	15000	1	15000
144.	वैशाली कला केंद्र	40000	1	40000
145.	वर्तमान साहित्य, अलीगढ़	15000	1	15000
146.	वेदांता इंस्टिट्यूट दिल्ली	20000	1	20000
147.	विश्व भारती पब्लिक स्कूल	25000	1	25000
148.	वर्ल्ड रिफलेक्शंस	75000	1	75000
	कुल			**5282000**

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-409.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

देश में जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

***409. श्री नंद कुमार सायः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भेजे जाने की तिथियों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने हेतु निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विभिन्न राज्यों में 2500 मेगावाट की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ड) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनमें से प्रत्येक परियोजना विद्युत उत्पादन हेतु कब तक पूरी हो जाएगी?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

देश में जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 409 के भाग (क)से(च) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

****

(क)और(ख)- चार जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी),जिन्हें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति प्रदान की गई है, आज की तारीख में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) में पर्यावरण स्वीकृति के लिए लंबित हैं । इन परियोजनाओं के विवरण अनुबंध-। पर हैं ।

(ग)- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1996, पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा समय-समय पर उनके द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से निर्धारित की गई परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

(घ)से(च)- 994 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली जिन दो जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति प्रदान की गई है, उन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हाल ही में, अर्थात पिछले छह माह में पर्यावरण स्वीकृति दी गई है । इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तिथि सहित विवरण अनुबंध-।। पर हैं ।

_____

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-*

nä¶É àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.4.2013 BÉEÉä =kÉ®ÉlÉÇ iÉÉ®ÉÆÉÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 409 BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE)+ÉÉè®(JÉ) BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ *

_____

VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ (®ÉVªÉ´ÉÉ®) ÉÊVÉxcå ºÉÉÒ<ÇA uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ cé

µÉEàÉ ºÉÆ.	{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ/ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ/ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ	ºÉÉÒ<ÇA BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ	{ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
	BÉExÉÉÇ]BÉE		
1	**MÉÖÆÉÊbªÉÉ SÉ®hÉ-*** **(®ÉVªÉ FÉäjÉ)** **BÉEä{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ/**	**25.04.2008**	**|ÉºiÉÉ´É 3.11.2008 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * 30.6.10 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ**

	1x200=200 àÉäMÉÉ´ÉÉ]		**(<ÇAºÉÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉÖEU ¶ÉiÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ * ´Éäº]xÉÇ PÉÉ]ÂºÉ <BÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ ABÉDºÉ{É]Ç {ÉèxÉãÉ (b¤ãªÉÚVÉÉÒ<Ç<Ç{ÉÉÒ) MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä 16.09.10 BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ * b¤ãªÉÚVÉÉÒ<Ç<Ç{ÉÉÒ xÉä AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊxÉ-{ÉÉnxÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉÉÊxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ cÉåMÉä * AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ**

			VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè * **bÉBÉD]® BÉEºiÉÚ®ÉÒ®ÆMÉxÉ, ºÉnºªÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ®Éäb àÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É xÉ {É½ä * ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ 13.01.2013 BÉEÉä MÉÖÆÉÉÊbªÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE xÉä BÉÖEU +ÉÉè® ÉÊ´É´É®hÉ àÉÉÆMÉÉ cè * <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ***
	ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ		
2	**iÉÉÒºiÉÉ SÉ®hÉ- IV** **(BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉ)** **AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ/**	**13.05.2010**	**|ÉºiÉÉ´É 11.5.2012 BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ÇAºÉÉÒ xÉä 02.02.13 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå**

	4x130=520 àÉäMÉÉ´ÉÉ]		**{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ näxÉä BÉEEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEEÉÒ cè * º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ {ÉjÉ +É£ÉÉÒ |ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ cè ***
	+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É		
3	**ÉÊc®ÉåMÉ (ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ) VÉäA{ÉÉÒAãÉ 4x125=500 àÉäMÉÉ´ÉÉ]**	**10.04.13**	**VÉxÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç 18 àÉ<Ç, 2011 BÉEEÉä BÉEEÉÒ MÉ<Ç * +ÉtÉiÉxÉ <Ç+ÉÉ<ÇA iÉlÉÉ <ÇAàÉ{ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 11 VÉÚxÉ 2011 BÉEEÉä AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE BÉEEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEEÉÒ MÉ<Ç ***
	=kÉ®ÉJÉÆb		
4	**nä´ÉºÉÉ®ÉÒ (BÉEåpÉÒªÉ FÉäjÉ) AºÉVÉä´ÉÉÒAxÉAãÉ (3x84=252 àÉäMÉÉ´ÉÉ])**	**7.08.2012**	**+ÉÆÉÉÊiÉàÉ <Ç+ÉÉ<ÇA/<ÇAàÉ{ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 01/03/2011 BÉEEÉä AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE BÉEEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÖiÉ BÉEEÉÒ MÉ<Ç * <ÇAºÉÉÒ xÉä 27.12.11 BÉEEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEEÉÒ * SÉ®hÉ-* ´ÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ**

			+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ *

+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-**

nä¶É àÉå VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.4.2013 BÉEÉä =kÉ®ÉlÉÇ iÉÉ®ÉÆÉÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 409 BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä £ÉÉMÉ (PÉ)ºÉä(SÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ *

_____

ºÉÉÒ<ÇA uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉnkÉ/àÉÚãªÉÉÆÉÉÊBÉEiÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºBÉEÉÒàÉå ÉÊVÉxcå AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä Uc àÉÉc àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè *

µÉEàÉ ºÉÆ.	ºBÉEÉÒàÉ	FÉäjÉ	®ÉVªÉ	ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ	ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ FÉàÉiÉÉ (àÉäMÉÉ´ÉÉ])	ºÉÉÒ<ÇA BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ	{ º´
1	**®è]ãÉ**	**ÉÊxÉVÉÉÒ**	**VÉààÉÚ**	**VÉÉÒ´ÉÉÒBÉEä+ÉÉ®**	**850**	**19.12.12**	**1**

			A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®	**ASÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒAãÉ**			
2	**MÉÉåMÉ®ÉÒ**	**ÉÊxÉVÉÉÒ**	**+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É**	**bÉÒ<Ç{ÉÉÒAãÉ**	**144**	**04.02.13**	**2**
	BÉÖEãÉ				994		

_____

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-410.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

मध्य प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक योजना

***410. डॉ. नजमा ए. हेपतुल्लाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सहित देश में सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश के गांवों के विद्युतीकरण हेतु कोई अनुपूरक योजना लागू करने का विचार रखती है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ड) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

मध्य प्रदेश के गांवों में विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक योजना के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 410 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

*****

(क) : जी, हां। भारत सरकार ने ग्रामीण घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण के सृजन के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) शुरू की है।

(ख) और (ग) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण तथा 2,74,98,652 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जाने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, 1,07,083 गैर-विद्युतीकृत गांवों, 2,90,137 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा 2,07,21,824 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, संस्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार कवरेज तथा उपलब्धि **अनुबंध** में दी गई है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अवार्ड की गई परियोजनाओं के लिए विद्युतीकरण कार्य पूरा करने का निर्धारित समय अवार्ड की तिथि से 24 माह है।

(घ) और (ड) : सरकार ने निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन शेष गांवों/वासस्थलों को शामिल करने के लिए आरजीजीवीवाई को 12वीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव किया है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 23.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 410 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कवरेज और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	कवरेज			समेकित उपलब्धि (31.03.2013 तक)		
		गैर-विद्युतीकृत गांव (यूईवी)	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव (पीईवी)	बीपीएल कनेक्शन	यूईवी	पीईवी	बीपीएल कनेक्शन
1	आंध्र प्रदेश	0	27477	2484665	0	26527	2752843
2	अरूणाचल प्रदेश	2106	1760	40726	1700	1045	28786
3	असम	8326	12984	1150597	8019	12290	908550
4	बिहार	23850	19244	5658692	22730	5097	2350915
5	छत्तीसगढ़	1594	17291	987834	1071	12268	979911
6	गुजरात	0	17667	742094	0	16317	829547
7	हरियाणा	0	6511	257273	0	4676	194461
8	हिमाचल प्रदेश	95	10650	13196	83	10534	15278
9	जम्मू एवं कश्मीर	239	4442	81217	176	2823	53086
10	झारखंड	19071	7106	1803377	18086	5729	1298825
11	कर्नाटक	61	28119	978219	62	24675	858836
12	केरल	0	1272	74571	0	181	52993
13	मध्य प्रदेश	843	49537	1817544	596	23934	961816
14	महाराष्ट्र	0	41739	1202882	0	36713	1181880
15	मणिपुर	882	1378	107369	616	562	28851
16	मेघालय	1866	3239	109696	1654	2223	85495
17	मिजोरम	137	570	27417	94	346	15144
18	नागालैंड	105	1140	69899	88	1069	37562
19	ओडिशा	14715	29324	3045979	14345	24671	2826140
20	पंजाब	0	11840	148860	0	0	80404
21	राजस्थान	4339	34783	1224417	4137	33094	1140846
22	सिक्किम	25	418	11458	25	383	9783
23	तमिलनाडु	0	10738	527234	0	9673	501202
24	त्रिपुरा	148	658	107506	143	617	99502
25	उत्तर प्रदेश	28439	22980	1907419	27762	2982	1047531
26	उत्तराखंड	1512	9160	238522	1511	9221	234593
27	पश्चिम बंगाल	4442	24309	2679989	4185	22487	2147044
	कुल	112795	396336	27498652	107083	290137	20721824

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-413.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

झारखण्ड के चतरा में नार्थ करणपुरा परियोजना

***413. श्री धीरज प्रसाद साहू:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झारखण्ड के चतरा जिले में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नार्थ करणपुरा परियोजना को शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय की सहमति के बाद भी इसमें अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

झारखण्ड के चतरा में नार्थ करणपुरा परियोजना के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 413 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

*****

(क) और (ख) : निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 20 फरवरी, 2013 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि कुछ शर्तों के साथ वर्तमान स्थल पर विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा सकता है। सीसीआई ने यह भी निर्णय लिया है कि नार्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट को मूल कोयला लिंकेज की सैद्धान्तिक रूप से बहाली इस शर्त पर प्रदान की जाएगी कि कोयला आपूर्तियां 13वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की जाएंगी।

उपर्युक्त के अनुसरण में एनटीपीसी ने एक वचनबद्धता दी है और विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12.04.2013 के अपने पत्र के द्वारा सीसीआई में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना को शीघ्र कोयला लिंकेज की बहाली प्रदान करने हेतु कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि परियोजना संबंधी गतिविधियों को शुरू किया जा सके।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-414.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का विस्तार

***414. श्री रामचन्द्र खूंटिआः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में छोटे-छोटे कस्बे जिनकी आबादी 100-300 तथा 100 से कम है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार दोषपूर्ण दिशा निर्देशों के कारण विद्युत प्राप्त करने से वंचित हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए इस योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया जा सकता है ताकि सभी गांवों और परिवारों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को व्यापक अर्थ में प्राप्त किया जा सके?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के विस्तार के बारे में राज्य सभा में दिनांक 23.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 414 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

*****

(क) : जी, हां। 100 से 300 के बीच की जनसंख्या वाले कुछ कस्बों और 100 से कम की जनसंख्या वाले अनेक कस्बों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत अभी तक विद्युतीकरण के लिए शामिल नहीं किया जा सका है।

(ख) : जी, नहीं। तथापि, 11वीं योजना के लिए उपलब्ध निधियों में गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) अनेक घरों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका।

(ग) : सरकार ने शेष गांवों/वासस्थलों तथा बीपीएल घरों के विद्युतीकरण के लिए, आरजीजीवीवाई को 12वीं योजना में, निधियों की उपलब्धता के अनुसार जारी रखने का प्रस्ताव किया है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3243.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

जम्मू और कश्मीर में जल–विद्युत परियोजनाएं

3243. डा॰ चंदन मित्राः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (एन॰ एच॰ पी॰ सी॰) की जम्मू और कश्मीर में संचालित हो रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने इन परियोजनाओं को खरीदने का प्रस्ताव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : एनएचपीसी लिमिटेड जम्मू एवं कश्मीर में 1724 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 5 जल विद्युत स्टेशनों का संचालन कर रही है। संस्थापित क्षमता सहित उन विद्युत स्टेशनों के ब्यौरे **अनुबंध-क** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : जम्मू एवं कश्मीर सरकार का जम्मू-कश्मीर राज्य में एनएचपीसी की परियोजनाओं को खरीदने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुबंध-क

राज्य सभा में दिनांक 23.04.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3243 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

जम्मू एवं कश्मीर			
क्रम सं.	**परियोजना**	**संस्थापित क्षमता (मेगावाट)**	**स्थिति**
1.	सलाल	690	1987 में चालू की गई
2.	उरी-I	480	1997 में चालू की गई
3.	दुलहस्ती	390	2007 में चालू की गई
4.	सेवा-II	120	2010 में चालू की गई
5.	चुटक	44	2013 में चालू की गई
	कुल	**1724**	

निम्मो बाजगो परियोजना की उपर्युक्त दो यूनिटों के अलावा प्रत्येक 15 मेगावाट को आंशिक भार पर सिंक्रोनाइज्ड किया गया है और अक्टूबर, 13 तक पूर्ण भार पर चालू किए जाने की संभावना है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3244.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

गुजरात में विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का आवंटन

3244. श्री नतुजी हालाजी ठाकोरः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्युत उत्पादन के लिए अधिक प्राकृतिक गैस आवंटित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात में लगने वाली गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं यथा जी॰ एस॰ पी॰सी॰ पीपावाव पावर कंपनी लि॰, जी॰ एस॰ ई॰जी॰ विस्तार परियोजनाएं और धुवरान सी॰ सी॰ पी॰ पी॰–III के लिए फर्म आधार पर गैस आवंटित की है;

(घ) राज्य सरकार/गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि॰ (जी॰यू॰वी॰एन॰एल॰) द्वारा गैस की मात्रा में आई कमी को दूर करने और अधिक गैस आवंटित किए जाने के संबंध में किए गए अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) जी॰ यू॰ वी॰ एन॰ एल॰ को विद्युत की आपूर्ति करने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को गैस के संयोजन/विपथन के संबंध में जी॰यू॰वी॰एन॰एल॰ के अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, नहीं। घरेलू गैस के कम उत्पादन के कारण गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को आबंटन के लिए कोई अतिरिक्त गैस उपलब्ध नहीं है।

(ग) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय ने गुजरात राज्य में भावी विद्युत परियोजनाओं अर्थात जीएसपीसी पीपावाव पावर कम्पनी लिमिटेड, जीएसईजी विस्तार परियोजनाएं और धुवरन सीसीपीपी-III के लिए सुनिश्चित आधार पर गैस का आबंटन नहीं किया है।

(घ) : गुजरात राज्य सरकार/गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) ने वर्तमान संयंत्रों द्वारा महसूस की जा रही कमियों को पूरा करने और नए संयंत्रों के लिए गैस की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए गैस के आबंटन का अनुरोध किया है। तथापि, घरेलू गैस की कम उपलब्धता के कारण गुजरात परियोजनाओं सहित किसी भी विद्युत संयंत्र को अब तक कोई अतिरिक्त आबंटन नहीं किया जा सका है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2015-16 तक किसी नए घरेलू गैस आधारित विद्युत संयंत्र की आयोग्या न करने के लिए सभी विकासकर्ताओं को परामर्शिका जारी की है क्योंकि इसकी उपलब्धता की कोई निश्चितता नहीं है।

(ङ) : जीयूवीएनएल की गैस के संयोग्य/विपथन के अनुरोध को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3245.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त बिजली जारी करना

3245. श्रीमती टी॰ रत्नाबाईः
श्री मोहम्मद अली खानः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) के झज्जर स्थित संयंत्र से 500 मेगावाट सहित लगभग 231 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जारी किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई बिजली की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिनांक 07 जुलाई, 2012 के अपने पत्र के द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, झज्जर पावर स्टेशन से 231 मेगावाट के अतिरिक्त विद्युत के आबंटन के लिए अनुरोध किया था। विद्युत मंत्रालय ने 01 दिसंबर, 2012 से 31 मई, 2013 तक झज्जर पावर स्टेशन से 181 मेगावाट का आबंटन किया है। आंध्र प्रदेश को 500 मेगावाट विद्युत के आबंटन के लिए दिनांक 16 जुलाई, 2012 को एक दूसरा पत्र प्राप्त हुआ है। विद्युत मंत्रालय ने 31 मई, 2013 तक आंध्र प्रदेश को पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी स्टेशनों से 100 मेगावाट विद्युत का आबंटन किया है।

वर्तमान में आंध्र प्रदेश को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से कुल विद्युत का आबंटन 3675 मेगावाट है जोकि कुल क्षेत्रीय आबंटन का 32.3% है और जिसमें वास्तविक हिस्से के रूप में 3099 मेगावाट, दक्षिणी क्षेत्र के सीजीएस में अनावंटित हिस्सा 295 मेगावाट, पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी स्टेशनों का अनावंटित हिस्सा 100 मेगावाट और झज्जर पावर स्टेशन से दिल्ली सरकार द्वारा सरेंडर किया गया वास्तविक हिस्सा 181 मेगावाट शामिल है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3246.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की स्थिति

3246. श्रीमती रेणुबाला प्रधानः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर॰जी॰जी॰वी॰वाई॰) के तहत राज्यों के निधीयन पैटर्न को फिर से तैयार करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडीशा में अब तक आर॰ जी॰ जी॰वी॰ वाई॰ के तहत विभिन्न परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : सरकार ने 12वीं योजना में निधि की उपलब्धता के अनुसार शेष बचे गांवों/वासस्थलों को कवर करने के लिए आरजीजीवीवाई को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। वित्तपोषण की पद्धति सहित स्कीम के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ओडिशा में 14,715 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी), 29,324 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों (पीईवी) के विद्युतीकरण और 30,46,184 गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए 32 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दिनांक 31.03.2013 के अनुसार, 14,345 यूईवी और 24,671 पीईवी में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है और 28,26,140 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। ओडिशा राज्य में यूई/पीई गांवों के विद्युतीकरण की कवरेज और उपलब्धियों तथा बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने का परियोजना-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : ओडिशा में आरजीजीवीवाई की प्रगति कुछ परियोजनाओं में निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुई हैः-

(i) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित वे-बिलों और लेबर परमिटों को उपलब्ध करवाने में देरी।

(ii) कुछ जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बाधा।

(iii) वन संस्वीकृति में देरी।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 23.04.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3246 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

*****

ओडिशा राज्य में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गांवों के विद्युतीकरण और बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने की परियोजना-वार कवरेज एवं उपलब्धियां

क्रम सं.	*जिले का नाम*	*कवरेज*			*संचयी उपलब्धि (31.03.2013)*		
		गैर-विद्युतीकृत गांव (यूईवी)	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव (पीईवी)	बीपीएल घर	यूईवी	पीईवी	बीपीएल घर
10 वीं योजना							
1	अंगुल	533	1032	98636	538	1008	98636
2	नयागढ़	542	873	88071	542	868	88071
3	गजपति	647	665	52003	647	665	52012
4	गंजम	454	1738	112200	454	1381	110650
	उप जोड़	2176	4308	350910	2181	3922	349369
11 वीं योजना							
1	बौध	638	412	63921	581	293	46655
2	गंजम(पूरक)		604	56926		423	37079
3	कंधमाल	1409	418	71035	1409	418	69901
4	पुरी	53	1244	45000	53	954	45000
5	रायगढ़	1388	607	114415	1350	597	89776
6	बलंगीर	450	1329	160000	449	991	159937
7	बारागढ़	100	1073	127000	100	898	126636
8	देवोगढ़	308	344	30119	308	339	30119
9	ढेंकनाल	228	809	94079	228	604	92041
10	झारसुगुडा	37	305	21000	37	297	21000
11	कालाहांडी	915	912	156000	915	372	150921
12	क्योंझर	825	1157	160000	825	585	158908
13	कोरापुट	974	579	176000	970	135	175959
14	नुआपाड़ा	167	372	49383	169	84	48622
15	संबलपुर	410	766	56599	410	757	56599
16	बालासोर	106	2433	133555	104	2437	127589
17	भद्रक	288	951	75210	288	939	70682
18	कटक	147	1648	136488	140	1497	107725
19	जगतसिंहपुर	96	1103	111451	95	1024	58299
20	जाजपुर(सेस्को)		171	11467		169	11664
21	जाजपुर(नेस्को)	93	1266	128110	90	1246	118377
22	केंद्रपाड़ा	203	1175	77408	187	1037	74110

23	**खुर्दा**	83	1260	76456	78	1216	73913
24	**मलकानगिरि**	686	154	54731	592	145	55441
25	**मयूरभंज**	1677	2022	238721	1542	1596	219344
26	**नवरंगपुर**	488	331	104413	480	328	93785
27	**सोनपुर**	309	549	59064	303	539	57389
28	**सुंदरगढ़**	461	1022	106723	461	829	99300
28	**उपजोड़**	12539	25016	2695274	12164	20749	2476771
32	**कुल जोड़**	14715	29324	3046184	14345	24671	2826140

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3247.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

झारखंड में बिजली की कमी

3247. श्री परिमल नथवानीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड में बिजली की कितनी कमी है;

(ख) क्या झारखंड उच्च न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को कोई निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और(ख)- झारखंड में वर्ष 2012-13 (अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम से संबंधित विद्युत कमी क्रमशः 289 एम.यू. (4.1%) और 92 मेगावाट (7.7%) थी जो कि 8.7% और 9% की अखिल भारतीय विद्युत की कमी से न्यूनतम है ।

(ख)और(ग)- हाल ही में न तो भारत सरकार को उच्च न्यायालय, झारखंड से कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं और न ही केंद्र सरकार को इसकी कोई सूचना झारखंड सरकार द्वारा दी गई है ।

(घ)और(ङ)- दिनांक 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से झारखंड को विद्युत का आबंटन 562 मेगावाट है ।

12वीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली संभावित परियोजनाओं से झारखंड को 1,374 मेगावाट का लाभ मिलेगा । इसमें से 294 मेगावाट को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के साथ साझा किया जाएगा ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3248.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए समेकित ऊर्जा नीति

3248. श्री सी॰ एम॰ रमेशः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में दो लाख करोड़ रुपयों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की किस तरह से संसाधन जुटाने की योजना है;

(ग) देश में ऊर्जा सुरक्षा के लिए समेकित ऊर्जा नीति बनाने के संबंध में मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और क्या मंत्रालय सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीकृत स्वीकृति प्रणाली अपनाने पर विचार कर रहा है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए 12वीं योजना दस्तावेज के अनुसार, 12वीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए 15,01,666 करोड़ रूपये (वर्तमान मूल्य पर) के निवेश का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केन्द्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र में क्रमशः 4,40,796 करोड़ रूपये, 3,47,043 करोड़ रूपये तथा 7,13,827 करोड़ रूपये के निवेश का आकलन किया गया है ।

12वीं योजना दस्तावेज के अनुसार, बारहवीं योजना में अवसंरचना में अनुमानित निवेश केवल तभी संभव होगा यदि निजी निवेश में पर्याप्त बढ़ोतरी के अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की आंतरिक उत्पादन तथा अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों में पर्याप्त विस्तार हो ।

(ग) : देश में विद्युत के संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी संभव प्रयास कर रही है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन के माध्यम से विद्युत की निर्धारित मांग को पूरा करके ।
- ईंधन आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए ईंधन का आयात किया जा रहा है जबकि आधुनिक खनन प्रौद्योगिकी को अपनाने सहित विभिन्न उपायों के द्वारा घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।
- पुराने एवं पुराने हो गए संयंत्रों से सुधरी हुई विद्युत आपूर्ति और बेहतर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, पुराने विद्युत संयंत्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन-विस्तार किए जाने पर बल दिया जा रहा है ।
- ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए माँग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा कुशलता जैसे उपाय भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं ।
- परस्पर लाभ के लिए पड़ोसी देश भूटान को जल विद्युत संभाव्यता के विकास में सहायता करना।

(घ) : उन जल विद्युत स्कीमों को छोड़कर, जिनमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पूँजीगत व्यय वाली जल विद्युत स्कीमों को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अंतर्गत उसके द्वारा सहमति प्रदान की जाती है, उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए विद्युत मंत्रालय या सीईए की किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है । जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान जल विद्युत स्कीम की सहमति में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी), भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (जीएसआई), जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर), केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सीएसएमआरएस), संबंधित राज्य सरकार तथा परियोजना विकासकर्ता के विभिन्न संघटन शामिल होते हैं । सीईए ने इस उद्देश्य से, सचिव, सीईए के कार्यालय के अंतर्गत 'एकल खिड़की स्वीकृति' प्रणाली पहले ही स्थापित कर ली है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3249.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

मध्य प्रदेश में बिजली संकट

3249. डा॰ नजमा ए॰ हेपतुल्लाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्य गंभीर बिजली संकट से जूझ रहे हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य को पर्याप्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : देश में सभी राज्यों में विद्युत की समग्र कमी है । मध्य प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में व्यस्ततम विद्युत और ऊर्जा दोनों के संबंध में विद्युत की कमी है । यह कमी विद्युत की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करते हुए राज्य दर राज्य, माह दर माह, दिन प्रति दिन और घण्टे दर घण्टे के आधार पर अलग-अलग होती है । वित्तीय वर्ष 2012-13 में, राष्ट्रीय औसत आधार पर ऊर्जा की कमी 8.7% थी और व्यस्ततम कमी 9% थीऔर मध्य प्रदेश में ऊर्जा और व्यस्ततम कमी क्रमशः 9.7% और 6.1% थी ।

(ख) और (ग) : मध्य प्रदेश सरकार से विद्युत के आबंटन के लिए हाल ही में कोई भी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3250.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

कृष्णा बेसिन में गोलपल्ली जल–विद्युत परियोजना

3250. श्री बसावाराज पाटिलः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कृष्णाबेसिन स्थित गोलपल्ली जल–विद्युत परियोजना की 1500 मेगावाट से 3500 मेगावाट तक उत्पादन की क्षमता है; और

(ख) बिजली समस्या से निपटने के लिए अधिक किफ़ायती और सस्ते उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृष्णा बेसिन में गोलपल्ली जल विद्युत परियोजना के नाम से कोई भी जल विद्युत योजना चिन्हित नहीं की गई है। कृष्णा बेसिन में 1500 मेगावाट से 3500 मेगावाट की क्षमता वाली गोलपल्ली जल विद्युत परियोजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सीईए में परीक्षाधीन नहीं है।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3251.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत क्षेत्र को कोयले की कम उपलब्धता

3251. डा. अनिल कुमार साहनीः
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत क्षेत्र को कोयले की कम उपलब्धता के कारण बिहार को विद्युत की आपूर्ति बाधित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) बिहार में विद्युत की आपूर्ति में बाधा को दूर करने हेतु कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष 2012-13 में कोयला आपूर्ति की उपलब्धता वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 99% रही है । तथापि, जहां तक बिहार को विद्युत आपूर्ति करने वाले विद्युत स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति का संबंध है, यह बताया जाना है कि बिहार को विद्युत की आपूर्ति मुख्य रूप में एनटीपीसी के चिन्हित केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से होती है जिनके पास संबंधित कोयला खानों से कम आपूर्ति थी और एनटीपीसी द्वारा कोयले का आयात भी कम था ।

(ग) : विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :-

(i) प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 1 फरवरी, 2013 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :-

- सीआईएल विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) हस्ताक्षर करेगा, जिन्होंने डिस्कामों के साथ दीर्घावधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) किए हैं और जो 31 मार्च, 2015 को चालू होने वाली है अथवा उससे पूर्व चालू हो जाएंगी ।
- एफएसए पर गैर प्रोत्साहन के लिए 80% लेवी और प्रोत्साहन के लिए 90% के ट्रिगर लेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्र (एलओए) में उल्लिखित कोयले की पूरी मात्रा के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(ii) कोयला मंत्रालय से कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयला कंपनियों पर जोर देने को अनुरोध किया गया है ताकि विद्युत संयंत्रों की माँगों को पूरा किया जा सके ।

(iii) विद्युत यूटिलिटियों को स्वदेशी कोयले की माँग एवं उपलब्धता के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए कोयले के आयात की सलाह दी जा रही है ।

(iv) विद्यमान खानों से कैप्टिव कोयला ब्लॉक के आबंटियों द्वारा कोयले के उत्पादन को बढ़ाने और नए कोयला ब्लाक को तेजी से चालू किए जाने पर बल ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3252.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु को अतिरिक्त विद्युत का आवंटन

3252. श्री ए॰ ए॰ जिन्नाः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु केन्द्रीय विद्युत के उत्पादन केन्द्रों द्वारा पैदा की जा रही विद्युत के अनावंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत के आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु को अधिशेष बिजली वाले राज्यों से विद्युत की आपूर्ति में बाधा पैदा कर रही गलिपारा संकुलता (कन्जेस्चन) को दूर करने हेतु कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय उत्पादन स्टेशन अतिरिक्त विद्युत के आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं । वर्ष 2012-2013 के दौरान विभिन्न राज्यों से सीईए में प्राप्त अनुरोधों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए है ।

(ग) और (घ) : सरकार ने कोरीडोर संकुलन सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाए है जिसकी बजट से अधिशेष राज्यों से तमिलनाडु राज्य को विद्युत की आपूर्ति में बाधा हो रही है ।

कोरीडोर संकुलन को कम करने के लिए एनईडब्ल्यू ग्रिड और एसआर ग्रिड के बीच अन्तर्क्षेत्रीय संपर्कों और एसआर के भीतर अन्तर्क्षेत्रीय संपर्कों की आयोजना की गई है जो निष्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन पारेषण संपर्कों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

1. अन्तर -क्षेत्रीय लाइनें :

(i) राईचुर - शोलापुर 765 केवी की दो सिंगल सर्किट लाइनें ।

(ii) कोल्हापुर (नई) - नरेन्द्र 765 केवी की डबल सर्किट लाइन ।

(iii) वर्धा - हैदराबाद 765 केवी की डबल सर्किट लाइन ।

(iv) अंगुल - श्रीककुल्लम - वेमागिरी 765 केवी की डबल सर्किट लाइन ।

2. दक्षिणी क्षेत्र के भीतर अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण :

(i) विजयवाड़ा - नेल्लोर (आ.प्र.) - तिरूवलम 400 केवी की डबल सर्किट लाइन ।

(ii) चित्तूर - तिरूवलम 400 केवी की डबल सर्किट लाइन ।

(iii) कुरनुल - तिरूवलम 765 केवी डबल सर्किट लाइन ।

(iv) मधुगिरी - सलेम पुलिंग प्वाइंट 765 केवी सिंगल सर्किट लाइन ।

(v) सोमनाहल्ली - सलेम (नई) 400 केवी डबल सर्किट लाइन ।

(vi) तिरूवलम में कोलार की लूप-इन-लूप-आउट - एस.पी.बुदुर 400 केवी सिंगल सर्किट लाइन।

(vii) होसुर में सलेम की लूप-इन-लूप-आउट - सोमनाहल्ली 400 केवी की सिंगल सर्किट लाइन।

(viii) मैसूर - कोजीकोड 400 केवी डबल सर्किट लाइन ।

*****

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य	अनुरोधों के ब्यौरे	माँग का विवरण
1.	जम्मू एवं कश्मीर	दिनांक 14.08.2012 का अर्ध.शा. पत्र संख्या पीडीडी-iv/33/2008	शीतकालीन जरूरतों का पूरा करने हेतु थर्मल स्टेशनों से प्रत्येक वर्ष अक्टूवर से मार्च तक 500 मेगावाट का आबंटन ।
2.	जम्मू एवं कश्मीर	दिनांक 11.02..2013 का अर्ध.शा.पत्र संख्या पीडीडी-iv /19/2005	16.01.2013 से 28.02.2013 तक दुलहस्ती एचपीएस के बन्द करने की योजना के परिप्रेक्ष्य में अनाबंटित कोटा से 90 मेगावाट विद्युत
3.	तमिलनाडु	मई, 2012	1000 मेगावाट
4.	आंध्र प्रदेश	जुलाई, 2012	500 मेगावाट
5.	कर्नाटक	अगस्त, 2012	300-500 मेगावाट
6.	केरल	जनवरी, 2013	कायमकुलम के साथ 100 मेगावाट पुलिंग पावर
7.	आंध्र प्रदेश	जनवरी, 2013	कुडनकुलम से 300 मेगावाट, एनएलसी-II (विस्तार) 75 मेगावाट, एसआर/यू/ए 500 मेगावाट,
8.	तमिलनाडु	फरवरी, 2013	अनिर्धारित
9.	आंध्र प्रदेश	मार्च, 2013	281.17 मेगावाट मई, 2014 तक जारी
10.	केरल	मार्च, 2013	362.34 मेगावाट मई, 2014 तक जारी
11.	आंध्र प्रदेश	मार्च, 2013	अनिर्धारित
12.	आंध्र प्रदेश	मार्च, 2013	अनिर्धारित
13.	ओडिशा	अप्रैल, 2012	500 मेगावाट
14.	बिहार	अक्टूबर, 2012	सीजीएस से विद्युत की कम उपलब्धता
15.	असम	मार्च, 2013	अनिर्धारित

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3253.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

उत्तराखंड में अवरुद्ध जल विद्युत परियोजनाएं

3253. श्री महेन्द्र सिंह माहराः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखण्ड राज्य में उन सभी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण अवरुद्ध पड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय, पर्यावरण मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखण्ड में किसी भी जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट और इससे अधिक) पर कार्य रोकने के लिए कोई सूचना जारी नहीं की है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3254.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

विभिन्न राज्यों में विद्युत का असमान वितरण

3254. डा॰ नज़मा ए॰ हेपतुल्लाः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान विद्युत वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्य अपने निर्धारित कोटे से अधिक विद्युत प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : 31 मार्च के अनुसार केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के विद्युत आबंटन के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत की निकासी का कार्यक्रम अग्रिम रूप में निर्धारित किया जाता है जो दिन प्रति दिन भिन्न होता है । किसी भी राज्य को विद्युत के आबंटन का कोई निर्धारित कोटा नहीं है । अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 तक की अवधि के दौरान निर्धारित कार्यक्रम और राज्यों द्वारा विद्युत की निकासी के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं ।

भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा विद्युत की अधिक निकासी की प्रवृति को नियंत्रित करने के लिए परामर्शक सेवाओं के साथ-साथ आर्थिक जुर्माना लगाने सहित कानूनी प्रक्रियाओं के उपयोग द्वारा आरएलडीसी, आरपीसी, सीईआरसी इत्यादि जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कदम उठाती है ।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 23.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3254 के भाग(क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

व्यस्ततम मांग के दौरान राज्यवार विद्युत आबंटन

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य	**31.03.2010 के अनुसार**	**31.03.2011 के अनुसार**	**31.03.2012 के अनुसार**	**31.03.2013* के अनुसार**
चंडीगढ़	163	209	204	211
दिल्ली	3543	4098	3897	4232
हरियाणा	1712	1939	1945	2224
हिमाचल प्रदेश	1120	1160	1156	1219
जम्मू कश्मीर	1732	1607	1603	1700
पंजाब	1980	2027	2045	2113
राजस्थान	2080	2257	2374	2831
उत्तर प्रदेश	5070	5420	5520	5779
उत्तराखंड	740	750	796	844
रेलवे/पावरग्रिड	102	102	102	102
गुजरात	2539	2588	2768	3368
मध्य प्रदेश	2268	2444	2553	4527
छत्तीसगढ़	551	701	805	1127
महाराष्ट्र	3433	3634	3853	6781
गोवा	453	437	444	491
दमन एवं दीव	239	155	165	319
दादर नागर हवेली	505	531	566	906
डीएई/पावरग्रिड		21	17	17
आंध्र प्रदेश	3006	2768	3306	3675
कर्नाटक	1508	1500	1672	1810
तमिलनाडु	3258	3329	3282	3766
केरल	1211	1296	1626	1633
पुडुचेरी	321	386	394	396
एनएलसी	100	100	100	100
पावरग्रिड		6	6	6
बिहार	1662	1662	1742	1802
झारखंड	551	551	526	562
डीवीसी	168	168	168	5990
ओडिशा	1544	1544	1544	1705
प. बंगाल	1225	1225	1225	1403
सिक्किम	149	149	149	150
पावरग्रिड		1	1	1.26

अरूणाचल प्रदेश	129	139	134	134
असम	821	811	721	746
मणिपुर	123	123	123	123
मेघालय	202	212	212	212
मिजोरम	66	76	74	74
नागालैंड	78	88	80	80
त्रिपुरा	110	105	105	105

*** टिप्पणी:** 31.3.2013 के आबंटन आंकड़ों में समर्पित सीएस स्टेशनों की क्षमता, मर्चेंट पावर और क्षेत्र के भीतर/बाहर स्थित अन्य स्टेशनों से आबंटित/विपथित क्षमता शामिल है । 31.3.2013 के अनुसार, डीवीसी के लिए आबंटन आंकड़ों में डीवीसी को इसके अपने उत्पादन स्टेशनों से किया गया आबंटन शामिल है, जबकि अन्य वर्षों में डीवीसी स्टेशनों से किया गया यह आबंटन शामिल नहीं किया गया है ।

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 23.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3254 के भाग(ख) एवं (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

वर्ष 2012-13(फरवरी, 2013 तक) के लिए यूआई खाता के अनुसार कार्यक्रम एवं निकासी			
	अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013		
राज्य/केंद्र/			(आंकड़े मि.यू. में)
प्रणाली	कार्यक्रम	निकासी	अति निकासी (+) / न्यून निकासी (-)
उत्तरी क्षेत्र	[01.04.12 से 28.02.13 तक]		
चंडीगढ़	1541.150	1513.110	-28.040
दिल्ली	17237.258	15550.840	-1686.418
हरियाणा	16251.000	17128.710	877.710
हिमाचल प्रदेश	3431.290	3372.680	-58.610
जम्मू कश्मीर	6922.350	6767.240	-155.110
पंजाब	21404.650	22256.780	852.130
राजस्थान	17128.560	18176.370	1047.810
उत्तर प्रदेश	28994.610	31365.990	2371.380
उत्तराखंड	4677.040	5215.950	538.910
पश्चिमी क्षेत्र	[01.04.12 से28.02.13 तक]		
छत्तीसगढ़	4461.520	4520.890	59.370
गुजरात	14222.920	12956.180	-1266.740
मध्य प्रदेश	21870.330	21294.320	-576.010
महाराष्ट्र	37251.150	36971.790	-279.360
दमन एवं दीव	1892.050	1848.640	-43.410
दादर नागर हवेली	4622.480	4415.030	-207.450
गोवा	2912.190	2871.390	-40.800
दक्षिणी क्षेत्र	[01.04.12 से8.02.13 तक]		
आंध्र प्रदेश	20621.547	20861.961	240.414
कर्नाटक	10007.004	9938.447	-68.557
केरल	10726.936	11613.919	886.983
तमिलनाडु	19030.475	18997.963	-32.512
पुडुचेरी	2311.373	2002.890	-308.483
पूर्वी क्षेत्र	[02.04.12 से24.02.13 तक]		
बिहार	11741.339	11296.585	-444.754
डीवीसी	-6457.074	-6194.331	262.743
झारखंड	3327.085	2913.430	-413.655
ओडिशा	5738.605	5949.556	210.951
प. बंगाल	7160.138	7268.883	108.745
सिक्किम	371.445	338.513	-32.932
पूर्वोत्तर क्षेत्र	[01.04.12 से 28.02.13 तक]		
अरूणाचल प्रदेश	500.611	523.251	22.640
असम	3833.675	3829.049	-4.626
मणिपुर	564.743	508.555	-56.188

मेघालय	794.082	806.457	12.375
मिजोरम	322.303	317.569	-4.734
नागालैंड	376.516	412.960	36.444
त्रिपुरा	249.549	211.179	-38.370

****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3255.
जिसका उत्तर 23 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है ।

राज्य विद्युत सेवाओं द्वारा आर॰ पी॰ ओ॰ का कार्यान्वयन

3255. श्री दिलीपभाई पंडयाः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों/राज्य विद्युत सेवाओं द्वारा दायित्व की नवीकरणीय खरीद (आर॰ पी॰ ओ॰) का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अपनी नाम–निदेशित एजेन्सी द्वारा राज्यों द्वारा अपने आर॰ पी॰ ओ॰ से अधिक जनित नवीकरणीय विद्युत को खरीदने का विचार रखती है; और

(ग) क्या सरकार डिसकॉम को उनके आर॰ पी॰ ओ॰ दायित्व से ऊपर प्रयोग की गयी विद्युत की मात्रा के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र (आर॰ ई॰ सी॰) प्राप्त करने हेतु योग्य बनाने पर विचार कर रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 में कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल नीतियों और इससे जुड़े मामलों या उससे प्रासंगिक मामलों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। विशेष रूप से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ड) में राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों (जेईआरसी) को अपने राज्यों में दायित्व प्राप्त इकाइयों के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य निर्धारित करने का अधिदेश देता है। उक्त धारा का सार निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया जाता हैः-

86(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कार्यों को करेगाः-

"(ड) ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपायों को उपलब्ध करवाकर और किसी व्यक्ति को विद्युत की बिक्री कर, इस प्रकार के स्रोतों से विद्युत की खरीद करने के लिए, वितरण लाइसेंस के क्षेत्र में

विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत को भी विनिर्दिष्ट करते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सहउत्पादन और उत्पादन को प्रोत्साहित करना,"

इस संबंध में दायित्व प्राप्त इकाइयों द्वारा आरपीओ के निगरानी अनुपालन की जिम्मेवारी संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी और उपयुक्त सरकार राज्य सरकारों की हैं। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने दण्डात्मक धाराओं को भी विनिर्दिष्ट किया है जिसे उन दायित्व प्राप्त इकाइयों के विरुद्ध लागू किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे।

(ख) और (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 06.01.2006 को अधिसूचित प्रशुल्क नीति में अन्य बातों के साथ-साथ नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत की न्यूनतम क्रय की व्यवस्था है जिसे निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया जाता हैः-

"6.4 सहउत्पादन सहित ऊर्जा उत्पादन के अपारंपरिक स्रोतः

(1) इस अधिनियम की धारा 86(1)(ड) के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्रोतों से ऊर्जा के क्रय तथा खुदरा प्रशुल्कों के लिए न्यूनतम प्रतिशततता का निर्धारण करेगा। ऊर्जा के क्रय के लिए इस प्रकार की प्रतिशततता एसईआरसी द्वारा 01 अप्रैल, 2006 तक निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्कों के लिए लागू होनी चाहिए।"

तथापि, अधिनियम और नीति उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के अधिक होने पर किसी दायित्व प्राप्त इकाई के द्वारा विद्युत के प्रापण पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उत्पादक कंपनियों पर पात्रता सीमित करने से संबंधित सीईआरसी विनियमों के विद्यमान प्रावधान आरईसी बाजार के विकास के इस चरण में पर्याप्त हैं। आयोग की यह राय है कि आरपीओ के अनुपालन का उत्तरदायित्व एसईआरसी/जेईआरसी का होने के कारण, आरईसी के लिए डिस्कॉमों की पात्रता का सत्यापन उनके आरपीओ की शक्ति के बाहर होने के कारण चुनौती बन सकती है, जिसे इस चरण में टाला जाना चाहिए।

*****